न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त बीकानेर
पीठासीन अधिकारी ए.एच.गौरी आर.ए.एस
अपील संख्या 04/2019 एल आर एक्ट (GCMS No 2019/ 00072)
अनवान सलामुदीन बनाम प्राधिकृत अधिकारी एस.डी.एम. राजगढ वगैरह
अपील विरूद्व आदेश– एस.डी.एम.राजगढ (प्राधिकृत अधिकारी) नगरपालिका राजगढ
जिला चूरू, दिनांक 04.10.2002

तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियन्स जज	नम्बर व तारीख अहकाल जो इस हुक्त की तामील में जारी हुऐ
23.08.2022	पत्रावली प्रस्तुत हुई। प्रस्तुत अपील प्राधिकृत अधिकारी एस.डी.एम. नगरपालिका राजगढ जिला चूरू द्वारा पारित निर्णय दिनांक 04.10.2002 के विरूद्व इस न्यायालय मे प्रस्तुत होने पर निर्णय दिनांक 10.10.2006 द्वारा खारिज कर दी गई। इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 10.10.2006 के विरूद्व राजस्व मण्डल अजमेर में निगरानी/एल आर/2458/2007 प्रस्तुत हुई। राजस्व मण्डल ने उक्त निगरानी को अपने निर्णय दिनांक 12.10.2018 द्वारा निगरानी आंशिक रूप से स्वीकार कर इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 10.10.2006 को निरस्त कर इस न्यायालय को रिमाण्ड कर प्रकरण भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 बी (7) के तहत अपील में परिवर्तित करने के उपरान्त उभयपक्ष को सुनकर प्रकरण को गुणावगुण के आधार पर निर्णीत करने का आदेश दिया। राजस्व मण्डल के आदेश की पालना में अपील को दिनांक 27.03.2019 पुन दर्ज रजिस्टर कर पक्षकारान को नोटिस जारी किये गये। नोटिस जारी करने के बाद भी आज दिनांक तक कोई भी पक्षकार/ उसके अभिभाषक उपस्थित नही होने पर आवाज लगवाई गई, बावजूद आवाज के उपस्थित नही होने पर पत्रावली अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज की जाती है। पत्रावली नम्बर से कम हो। पत्रावली बाद तरतीब,तकमील दाखिल दफ्तर हो। आदेश खुले न्यायालय मे सुनाया गया। अति.संभागीय आयुक्त बीकानेर	